[illegible]

[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

अतारांकित प्रश्न [illegible] : 3358

12 [illegible], 2019 [illegible]

एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम

3358. [illegible]

श्री [illegible]

[illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

[illegible]

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री प्रसून बनर्जी:

क□□ स□□स्थ□ □□ □ि□□□□ □ल□□□ □त्री □□ बताने को कृपा करगे कि:

(□) क□□ □□□ □, □□□□□□□ □□□□□ म एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और एक्यूट जापानी □□□□□ि□□ (□□□) □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□ □ि□ □□;□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ों □ो □ख□□ □□□□ वतमान मौसम के दौरान सूचित मौतों को संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ ब□□□□ क□□ □;□

(ख) क्या सरकार द्वारा एईएस/एजेई के विभिन्न पक्षों □□ □□□□प्र□□ □□□□□□□□□□ों □□□□□□ □ □□□ अध्ययन/अनुसंधन किया गया है □□ □ि□ □□;□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □□□□ □□□□ निष्कष क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार म एईएस के प्र□□□ □ो □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□स□□□ □□□ गठित को है और यदि □□;□□ □त□□□□ ब्यौरा क्या □;□

(घ) क्या उक्त बीमारियों से निपटने के लिए बिहार को वित्तीय और तकनीको सहायता प्रदान □□□□□□ □□□ प्रस□□□ □□□□ □ि□ □□;□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □;□□ □

(□) □□□□□ द्व□□□ □क्त □□□□ि□□ों □□ □□□□□के लिए क्या उपाए किए जा रहे है □□ प्र□□□□□ व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

<u>□त□□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(□): □□ □□□□□-2019 □ □□□□□ □ □□व्र □□□□□ि□□ ि□ड्रो□ (□□□□) □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□) □□ □□□□ हु□ □□मलों और मौतों को संख्या □□म्□□□ □□

	□□□□ (08.07.2019□□)	□□ (07.07.2019 □□)
□□□□□	872	16
□□□	176	1

□□-2019 □ □□ □□□न□ □□ज□ों म एईएस और जेई के कारण हुए मामलों और मौतों का राज्य/□□ □□ज□ □□□ ब□□□□ □□□□ग□□ □ □□

(□): □□, 2019 □ □□□□ □□□□□□□ □ो □□□ □□□□□□□□ □□□□□फ□□□□□ □ □□□□□□ □ि□त□□ □□□□□□ परिषद् (आईसीएमआर) के अधिकारि□ों ने दौरा किया। आईसीएमआर टीमों को प्र□□ □□□□□□□□□□म्□□□ □□

- यह देखा गया था कि बच्चों □ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□स□स्थ्य □च□□ □□□□□□□ □□□ □□□ बच्चों □ □□□□□□□□□ □□□□□□ (ससोरियम) □□□□ हु□ □□। काफो अधिक बच्चों □ □□□□ग□□□□□□□□ □□ □□द्य□□ □□□ □□□ष□□ 2013-14 को पूव रिपोट जैसे ही थे।
- सीरम नमूनों और लीची फल के नमूनों को सीमित संख्या को एमसीपीजी टॉक्सिन हेतु जांच को गई थी। सीरम और लीची फलों के लगभग आधे नमूने एमसीपीजी टॉक्सिन ग्रस्त □□□ □□ □□

- [illegible] स्[illegible]नों म संक्रामक कारकों के लिए लगभग 90 नमूनों को [illegible] ग्रस्[illegible] ज्[illegible]दातर नमूने संक्रमित नहों थे। यह मुख्य रू[illegible]
- कुछ ही नमूनों पर नैक्स्ट [illegible] ([illegible]) [illegible]
- [illegible], [illegible] च[illegible]र के नमूने जेई जांच म नकारात्म[illegible]

([illegible]) [illegible]: सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 'स्[illegible]स्थ्य' [illegible]

कद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एईएस के मामलों के नियंत्रण हेतु निम्न[illegible]:

- कद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या[illegible] स्[illegible]स्थ्य मंत्री तथा मंत्रालय से कमचारियों [illegible] साथ स्थिति को समीक्षा को।
- स्[illegible]स्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेषज्ञ का एक कद्रीय दल तैनात किया है, जिसम नियंत्रण और प्रबंधन उपायों म राज्य सरकार को सहायता करने के लिए कद्रीय सरकार के विविध संस्था[illegible]ों [illegible] स्[illegible]स्थ्य [illegible]
- कद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या[illegible] स्[illegible]स्थ्य एवं परिवार कल्या[illegible] अधिकारियों के दल के साथ बिहार का दौरा किया तथा श्रीकृष्ण [illegible] ([illegible]) [illegible]
- स्[illegible]स्थ्य [illegible]परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर म एक अन्य [illegible] स्[illegible] [illegible]-[illegible] जिसम कद्रीय सरकार के विविध संस्था[illegible]ों [illegible] बाल चिकित्स[illegible], ताकि मामलों के प्रबंधन म राज्य सरकारों को उनके प्रयासों म सलाह दी जा स[illegible] [illegible] नियंत्रण कद्र (एनसीबीसी) से महामारी विशेषज्ञ, [illegible], कद्रीय स्त[illegible] [illegible] 12 [illegible], 2019 से मुज़फ्फरपुर म उपस्थित ह।
- [illegible] स्[illegible]स्थ्य काय कद्र (एसएचओसी) सुविधा मुज़फ्फरपुर म [illegible] स्[illegible]र पर कार्यों म समन्वय करने के लिए सक्रिय को गई।
- स्[illegible]स्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कद्र सरकार के अस्प[illegible]ों [illegible] म तैनात किए ह।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से विशेषज्ञों वाले कद्रीय दल को एसकेएमसीएच म तैनात किया गया था। यह दल मृत्यु [illegible] प्र[illegible] [illegible]ज और मृतक रोगियों के मामला रिकॉर्डों को छटनी औ[illegible] [illegible]
- कद्रीय बाल चिकित्सक दल द्वारा एईएस के नैदानिक मामला प्रबंधन और उपचार प्रोटोकॉल पर एसकेएमसीएच के सभी बाल चिकित्स[illegible]ों [illegible] प्र[illegible]क्ष[illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]), [illegible] है। एनवीबीडीसीपी के अंतगत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आईजीएम एमसी एलिसा किट द्वारा नमूनों ([illegible]/[illegible]) [illegible] द्व[illegible]रा सटिनल एईएस मामलों को संख्या [illegible]

एंसेफेलाइटिस (जेई) को पुष्टि भी को जाती है। सटिनल स्थ[illegible]ों कोसं [illegible] वष 2005 म 51 [illegible]धीरे धीरे बढ़क [illegible] वतमान म 142 [illegible] गई है। ए [illegible]एस म [illegible]ों [illegible] [illegible]त[illegible] [illegible]यंण म गैर [illegible] [illegible] [illegible]ो [illegible] [illegible] [illegible]ष प्रयोगशालाओं को संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई है। दिनांक 30.06.2019 के अनुसार वष 2019 म 355 जेई किटों को आपूर्ति को गई।

□□□ग□□

□□-2019 म एईएस और जेई के कारण हुए मामलों और मौतों का राज्य/□□ □□ज□ □□□ ब□□□□ (07.07.2019 □□)

क्र.□□	□□ज□	□□□□		□□	
		□□□□□	□□□	□□□□□	□□□
1	Andhra Pradesh	1	0	0	0
2	Arunachal Pradesh	0	0	0	0
3	Assam	947	128	215	56
4	Delhi	0	0	0	0
5	Goa	37	0	0	0
6	Haryana	0	0	0	0
7	Jharkhand	305	2	11	2
8	Karnataka	182	0	11	0
9	Kerala	0	0	0	0
10	Maharashtra	71	1	7	1
11	Manipur	42	1	8	1
12	Meghalaya	101	0	9	0
13	Nagaland	8	0	0	0
14	Odisha	611	1	55	1
15	Punjab	0	0	0	0
16	Tamil Nadu	348	0	72	0
17	Telangana	44	0	21	0
18	Tripura	87	0	14	0
19	Uttar Pradesh	502	21	27	2
20	Uttarakhand	0	0	0	0
21	West Bengal	464	30	15	3
Total		**3750**	**184**	**465**	**66**